

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 15-03-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	166.956

कुल आवंटित राशि - रुपये एक करोड़ छियासठ लाख पंचानबे हजार छः सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 6680.82 38 लाख (छियासठ करोड़ अस्सी लाख बेरासी हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 293

राँची, दिनांक :- 15-03-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 293

राँची, दिनांक :- 15-03-18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के अप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रक 299 दिनांक 15-3-18 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	वित्तिय शीर्ष-01-वैतन एवं मर्गे												वित्तिय शीर्ष-02-शौर्ष-02-यात्रा व्यय												वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												राशि लाख रूपये में	
		कार्यालय का नाम	वित्तिय कोड	वैतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	49S270103001	49S270103001	49S270103001	49S270103001	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटारवाहिया	मोटारवाहिया अन्य व्यय	विविध प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति																		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
1	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	70.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.250	0.200	0.100	0.000	1.000	0.000	72.450																								
	अतिरिक्त आवंटन	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	3.100																								
	अवशन आवंटन	73.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.250	0.200	0.100	0.000	0.000	1.100	0.000	75.550																								
औरंगा निर्माण प्रमंडल, पंकी पलामू	पूर्व का आवंटन	130.000	0.000	0.000	0.200	4.434	0.000	0.000	0.000	0.050	0.350	0.000	0.000	0.000	135.034																								
	अतिरिक्त आवंटन	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	11.030																								
	अवशन आवंटन	141.000	0.000	0.000	0.200	4.434	0.000	0.000	0.000	0.080	0.350	0.000	0.000	0.000	146.064																								
कदरन बोध प्रमंडल ,नगर डेंदारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन	99.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.000	0.000	0.170	0.350	0.000	0.500	0.000	101.170																								
	अतिरिक्त आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	40.100																								
	अवशन आवंटन	139.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.000	0.000	0.170	0.350	0.000	0.600	0.000	141.270																								
कोनार नहर प्रमंडल, बमोदर	पूर्व का आवंटन	196.640	0.000	0.000	0.650	2.732	0.000	0.200	0.100	0.550	0.050	0.600	0.100	0.100	201.622																								
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400																								
	अवशन आवंटन	196.640	0.000	0.000	1.050	2.732	0.000	0.200	0.100	0.550	0.050	0.600	0.100	0.100	202.022																								
जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	223.000	0.000	0.400	0.650	0.650	0.000	0.350	0.200	0.700	1.100	1.200	0.200	0.200	228.450																								
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.201	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.201																								
	अवशन आवंटन	223.000	0.201	0.400	0.650	0.650	0.000	0.350	0.200	0.700	1.100	1.200	0.200	0.200	228.651																								
जलपथ प्रमंडल, मोदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	240.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	1.100	0.000	0.300	0.000	241.850																								
	अतिरिक्त आवंटन	58.820	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.250	1.250	60.520																									
	अवशन आवंटन	298.820	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.150	1.100	0.000	0.550	1.250	302.370																									
जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.360	0.250	0.200	0.725	0.000	1.050	0.300	303.525																								
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.360																								
	अवशन आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.360	0.250	0.200	0.725	0.000	1.050	0.300	303.885																								
पुनर्वास पदाठ उठ कोयल परियोजना, मोदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	68.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.000	0.050	0.125	0.000	0.000	0.100	68.725																								
	अतिरिक्त आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	20.150																								
	अवशन आवंटन	88.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.000	0.050	0.125	0.000	0.000	0.100	88.875																								
विशेष मू-अर्जन पदाठउपर कोयल परिमो मोदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	138.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.650	0.000	0.750	0.000	139.850																								
	अतिरिक्त आवंटन	30.650	0.000	0.000	0.000	0.090	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	30.790																								
	कुल आवंटन	168.650	0.000	0.000	0.200	0.290	0.000	0.000	0.100	0.650	0.000	0.750	0.000	0.000	170.640																								
सिंचाई प्रमंडल, बुड़ू	पूर्व का आवंटन	435.000	0.000	0.000	0.500	0.600	0.000	0.000	0.000	0.100	0.850	0.500	0.000	0.550	438.100																								
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.305	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.305																								
	कुल आवंटन	435.000	0.305	0.000	0.500	0.600	0.000	0.000	0.100	0.850	0.500	0.000	0.000	0.550	438.405																								
अतिरिक्त आवंटन का योग		163.470	0.506	0.000	0.400	0.190	0.360	0.000	0.180	0.000	0.050	0.450	1.350	166.956																									

नोट: वित्त विभाग के पत्रक 11/विशेष-14/2010-38/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मूल में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विमर्शकण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये एक करोड़ छियासठ लाख पंचानवे हजार छः सौ मात्र

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूधे)
विशेष सचिव

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव